**उत्तर पश्चिम रेलवे**

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/6/24

दिनांक 21.06.2024

**मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर**

# मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 06/2024

**विषय– वर्षा ऋतु में बरती जाने वाली सावधानियां ।**

वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला है। इस मौसम में गाड़ियों के संरक्षित संचालन के लिए निम्न सावधानियां बरतने से दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है–

**1. अभियांत्रिक कर्मचारी :–**

(अ) सुनिश्चित करें कि गश्त चार्ट सर्व सम्बन्धित के पास उपलब्ध है। गश्त चार्ट के अनुसार रेल पथ पर गश्त का प्रबंध करें। दोष पूर्ण और कमजोर स्थलों की निगरानी रखें। लगातार जांच करें और निम्नलिखित वर्षाकालीन खतरों को रोकें –

(क) पानी की निकास नालियों का अवरूद्व होना ।
(ख) गिट्टियों का जाम होना ।
(ग) रेल पथ पानी से भर जाना विशेषतः कटावों और स्टेशन यार्डों में।
(घ) किनारों का ढह जाना।
(ड.) रिसना तथा डूबना।
(च) शिलाखण्डों और पत्थरों का फिसलना और कटावों में गिरना, रेल पथ का बह जाना और उनमें दरार पड़ना।
(छ) अण्डरपास/सबवे मे पानी का भराव।

(ब) संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलपथ का उपयुक्त अनुरक्षण करें।
(स) मानसून रिजर्व की चिन्हित जगहों पर उपलब्धता व आपातकालीन रिजर्व को सभी तरह से पूर्ण रखें।

**2. स्टेशन मास्टरः–**

(अ) **यदि गश्ती कर्मचारी जिसे स्टेशन पर उपस्थित होना है, नियत समय पर वहां न पहुंचें या बिलकुल ही ना आए तो ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा– "**

(क) स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी चालक को सतर्क करने और दिन में जब दृश्यता साफ होती है तब 40 कि.मी.प्र.घं. और रात्री में अथवा जब दृश्यता ठीक न हो तब 15 कि.मी.प्र.घं. गति प्रतिबंध का पालन करने के लिए सतर्कता आदेश (टी–409) देने के बाद ही ब्लॉक खण्ड में गाड़ी ले जाने की अनुमति देंगे।
(ख) दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को भी इसी प्रकार की समान कार्यवाही के लिए सूचित करें।
(ग) गश्तवालों के न आने के कारण का पता लगाने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करें।
(घ) सतर्कता आदेश निरंतर जारी करें, जब तक कि गश्तवाला पहुंच नहीं जाता है और वह यह सूचित नहीं करता है कि गाड़ी गुजरने के लिए लाइन सुरक्षित है।
(ड़) जब मौसम विभाग से चक्रवात, आंधी या तेज हवा की पूर्व सूचना देने वाला चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ हो और/या इस बात का पर्याप्त संदेह हो कि तेज आंधी आने की संभावना है, जिससे गाड़ियों की संरक्षा को खतरा हो, स्टेशन मास्टर गाड़ी के गार्ड एवं ड्राइवर से विचार विमर्श करके गाड़ी को रोकेगा जब तक कि आंधी न रूके और वह गाड़ी के संचालन को सुरक्षित न समझे और अपने स्टेशन पर आने वाली गाड़ी को लाईन क्लिअर देने से मना कर दें।

**3. चालक एवं गार्ड :–**

(अ) यदि चलती हुई कोई गाड़ी तेज चक्रवात, आंधी या तेज हवा में फंस जाती है और ड्राइवर के विचार में इससे गाड़ी की संरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना हो तब वह तुरंत गाड़ी की गति को नियंत्रित करे और उसे पहले पड़ने वाले सुविधाजनक स्थान पर खड़ी करें तथा उसे ऐसे स्थानों जैसे तीव्र गोलाई, ऊंचे तटबंधों और पुलों (उनके पहुंच मार्गो सहित) पर रोकने के लिए टालने का ध्यान रखें। गाड़ी की गति को नियंत्रित करने और उसे रोकने के लिए ड्राइवर गाड़ी को बिना किसी झटके के सावधानी पूर्वक रोके उसे गार्ड के साथ विचार विमर्श करने के बाद गाड़ी को पुनः चलाना चाहिए जब चक्रवात, आंधी या तेज हवा रूक गई हो और आगे बढना सुरक्षित समझा गया हो। गाड़ी के गार्ड एवं ड्राइवर के साथ गाड़ी में सफर कर रहे रेल कर्मचारी यह देखने का प्रयास करें कि यात्रियों ने डिब्बों के दोनों तरफ के दरवाजे और खिड़कियां खोल रखी हैं ताकि डिब्बों से हवा स्वतंत्र रूप से बह सके।

**4. यांत्रिक व बिजली (कोच मेंटेन्स) :–**

सभी यात्री कोच मे पानी के रिसाव की जांच कर ये सुनिश्चित किया जाए कि, छत से, खिडकी से, RMPU (Roof Mounted Power Unit) से, दरवाजों से अथवा अन्य स्थान से वर्षा का जल कोच में प्रवेश ना कर पाये।

21/6/24
**प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी**

**प्रतिः–**

**वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर–** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.–** को सूचनार्थ।

**अपर महाप्रबंधक के सचिव–** अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

**महाप्रबन्धक के सचिव–** महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।